

पी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा—2025

B.Tech. (Agricultural Engineering) and B.Tech. (Food Technology)
बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी)

प्रवेश नियम

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संघटक शासकीय कृषि अभियांत्रिकी एवं फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में भौक्षणिक सत्र 2025–26 में स्नातक–स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

1. सामान्य

ये नियम पी.ई.टी. परीक्षा प्रवेश नियम— 2025 कहलायेंगे जो छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पत्र क्र. बी-दिनांक.....2025 द्वारा जारी किए गये हैं। ये प्रवेश नियम बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2. स्नातक पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं महाविद्यालय का नाम :—

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार
B.Tech. (Agricultural Engineering) बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)	4 Years Degree Course अवधि 4 वर्ष	Swami Vivekanand College of Agricultural Engineering and Technology & Research Station, Raipur (C.G.) स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर(छ.ग.)	Government College शासकीय महाविद्यालय
		Bhwani Sao Ramlal Sao Memorial College of Agricultural Engineering and Technology & Research Station, Mungeli (C.G.) भवानी साव रामलाल साव मेमोरियल कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंगेली(छ.ग.)	Government College शासकीय महाविद्यालय
B.Tech. (Food Technology) बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी)	4 Years Degree Course अवधि 4 वर्ष	College of Food Technology, Raipur (C.G.) फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	Government College शासकीय महाविद्यालय

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय

B.Tech. (Agricultural Engineering) बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)	4 Years Degree Course अवधि 4 वर्ष	Bhartiya College of Agricultural Engineering, Pulgaon Chowk, District - Durg (C.G.) भारतीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुलगांव चौक, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	Private College निजी महाविद्यालय
		Chhattisgarh College of Agricultural Engineering, Dhanora Road, Risali, Bhilai, District -Durg (C.G.) छत्तीसगढ़ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	

टिप्पणी:—उल्लेखित महाविद्यालयों के लिये शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल से अनुमोदन/अनुमति उपरान्त सीटों का निर्धारण किया जावेगा।

१८३

3. स्नातक पाठ्यक्रम में पी.ई.टी.-2025 के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता:-

- 3.1 भारत का नागरिक हो।
- 3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी ही पात्र होंगे।
- 3.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा में 10+2 की 12वीं कक्षा में निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो :—विज्ञान समूह—भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विशय
- 3.4 इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची प्रस्तुत करेंगे।
 - 3.4.1 ऐसे आवेदक जो वर्ष 2025 में आयोजित मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी (पूरक) परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पी.ई.टी. 2025 की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर लिया हो।
 - 3.4.2 ध्यान रहे कि किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Course) 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 3.5 **न्यूनतम अंक सीमा** :—इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पी.ई.टी.-2025 में न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा के विज्ञान समूल भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम **50** प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम **40** प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो।
- 3.6 इन पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी पी.ई.टी. 2025 की प्रावीण्यता सूची के आधार पर कांडसलिंग द्वारा प्राथमिकता से प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग समिति बिन्दु क्रमांक 3.1 से 3.5 में उल्लेखित नियमों का प्रवेश के समय पालन सुनिश्चित करेगी।

4. स्नातक पाठ्यक्रम में JEE Mains-2025 के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता:-

बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) में प्रवेश हेतु **JEE Mains-2025** में न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा के विज्ञान समूल भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम **50** प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम **40** प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो। इन पाठ्यक्रमों में **JEE Mains-2025** की प्रावीण्यता सूची के आधार पर कांडसलिंग द्वारा प्राथमिकता से प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग समिति बिन्दु क्रमांक 3.1 से 3.4 में उल्लेखित नियमों का प्रवेश के समय पालन सुनिश्चित करेगी।

5. स्नातक पाठ्यक्रमों में 12 वी. कक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है—

पी.ई.टी 2025 एवं **JEE Mains-2025** द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों को जिन्होंने निर्धारित समय में ऑनलाईन काउंसिलिंग एप्लीकेशन फार्म भरा है उनकी सूची समाप्त होने के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त रहती है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की रिक्त सीटों की संख्या दर्शाते हुये इन्हें भरने हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जावेगा। इन सीटों पर प्रवेश निम्न क्रमानुसार दिया जावेगा।


- 5.1 छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी जिन्होंने **पी.ई.टी.-2025** की परीक्षा दी है, परन्तु निर्धारित समय में प्रथम काउंसिलिंग के समय ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाये थे तथा बिन्दु क्रं. 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे।
- 5.2 छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी जिन्होंने **JEE Mains-2025** की परीक्षा दी है, परन्तु निर्धारित समय में प्रथम काउंसिलिंग के समय ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाये थे तथा बिन्दु क्रं. 4 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे।
- 5.3 छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी जिन्होंने **पी.ई.टी.-2025** या **JEE Mains-2025** की परीक्षा नहीं दी परन्तु 12 वी. उत्तीर्ण हो तथा बिन्दु क्रं. 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को 12वी. कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 5.4 छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में अन्य राज्यों के 12वी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वी. कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। अन्य राज्यों के केवल ऐसे अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु योग्य होंगे जिन्होंने संबंधित राज्य द्वारा आयोजित अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से ही 12वी. की परीक्षा (बिन्दु क्रं. 3.3 में वर्णित विषयों के साथ) उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त उन्हें बिन्दु क्रं. 3.4 एवं 3.5 के अनुसार न्यूनतम अंक सीमा की पूर्ति करना भी आवश्यक होगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।

टिप्पणी— 12वी. के प्रतिशत के आधार प्रवेश देते समय समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में 10वी. के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

6. विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटे की सीटों पर प्रवेश—

- 6.1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में अधिकतम 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटा के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगी।
- 6.2 प्रबंधन कोटा में संस्था द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता/पात्रता के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।
- 6.3 प्रबंधन कोटा पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी बिन्दु क्र. 3 एवं 4 की पूर्ति करता है तो ही वी प्रबंधन कोटे की सीट पर प्रवेश हेतु योग्य होगा।
- 6.4 प्रबंधन कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु सीट आबंटन की प्रक्रिया का दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व अलग से जारी किया जायेगा। सीट आबंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्हीं दिशा निर्देशों के द्वारा जारी की जायेगी।
- 6.5 प्रबंधन कोटे की सीटों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।

7. संचालनालय, कृषि विभाग के विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश :—छत्तीसगढ़ के संचालनालय कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ई.टी. –2025 के माध्यम से मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि वे प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर केवल विश्वविद्यालय के संघटक (शासकीय) महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा।
- 8 बी.टेक. पाठ्यक्रमों में लेटरल एण्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश— बिन्दु क्र. 3 के अनुसार योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को लेटरल एण्ट्री द्वारा बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है—
- 8.1 बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।
- अथवा**
- 8.2 बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एस.सी. (गणित विषय के साथ) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कोटे की सीटों पर प्रवेश :—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त) में केवल बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में कुल उपलब्ध सीटों की 20 प्रतिशत सीटों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश परीक्षा (**CUET-2025**) के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
10. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :—प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर एवं **JEE Mains-2025** द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परिक्षार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जायेगी तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10.1 आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम अभ्यर्थी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हे सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा।
- 10.2 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जायेगी।



11. पी.ई.टी.–2025 एवं JEE Mains-2025 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता का निर्धारण: पी.ई.टी.–2025 एवं JEE Mains-2025 में समान कुलांक पाने वाले अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु पी.ई.टी 2025 के विषयों की महत्ता, निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी :–

1. गणित 2. भौतिकी 3. रसायन

उक्त तीनों विषयों में भी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी। यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होने की स्थिति में 12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

12. सीटों का आरक्षण :–

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के सम्बद्धता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा।

- 12.1 **अनुसूचित जाति(Scheduled Tribe – ST) / अनुसूचित जनजाति(Scheduled Caste – SC)** एवं अन्य पिछड़ा वर्ग(Other backward class – OBC) (क्रीमिलियर को छोड़कर)–छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये क्रमशः 12, 32, एवं 14 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलियर) वाले अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 12.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया, स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। स्थाई जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। (प्रारूप 1 एवं 2)
- 12.3 **कृषक (Krishak – K):**—सभी आरक्षित श्रेणी में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण लागू होगा लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मैरिट में आता है लेकिन किन्हीं कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तथापि उसकी मैरिट, जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है, उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने। कृषक प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-3)। कृषक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 12.4 **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter – FF):**— सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र पौत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। इसके लिये छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो, तो इन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-4)। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।



- 12.5 **महिला (Female – F):**— सभी श्रेणी के अन्तर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 12.6 **जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग / निवासियों हेतु:**—जम्मू कश्मीर से विस्थापित एवं गैर विस्थापित कश्मीरी पंडित / कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिये बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) अथवा बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) में 1 सीट आरक्षित रहेगी। विस्थापित परिवार के अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान के अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) / सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-5)। कश्मीरी पंडित / कश्मीरी हिन्दू परिवार के व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में ही निवास करते हैं, उन्हे जम्मू कश्मीर के संबंधित जिले के अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) / सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-6)। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटे रिक्त रहेगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जावेगी।
- 12.7 **दिव्यांग (Physically Challenged- PH) अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण:**—दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों हेतु समस्त कृषि अभियांत्रिकी एवं फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालयों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी। इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांग हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (*Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour*) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप-10)। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 12.8 **कमजोर जनजातियों के लिए आरक्षण (Speacial Tribes- SpTr):**—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय कृषि अभियांत्रिकी एवं फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति हेतु कमजोर जनजातियों (अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, बैगा, पंडो, भुजिया) के लिये सीटें छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार आरक्षित रहेगी। इस संवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार संवर्ग एवं अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 12.9 **नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्तियों के पुत्र—पुत्रियों के लिए आरक्षण (Naxal Affected - NaxAf):**—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रत्येक सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के आश्रित पुत्र / पुत्रियों के लिये एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध रहेगी। इस वर्ग में प्रवेश लेने हेतु जिलाध्यक्ष / पुलिस अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (प्रारूप-7)। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटे रिक्त रहेगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जावेगी।
- 12.10 **भूतपूर्व कार्मिक (Ex-Servicemen-ExS):**—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित प्रत्येक महाविद्यालयों में भूतपूर्व कार्मिकों के संतानों / व्यक्तियों के लिये स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत सीटों (Horizontal) को आरक्षित किया गया है। इस वर्ग के अभ्यर्थियों जिला स्तरीय / राज्य स्तरीय कमांडिंग ऑफिसर / प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लावेंगे कि वे थल सेना / वायु सेना / नौ सेना के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ या सेवारत होने का प्रमाण—पत्र (प्रारूप-8) में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित की जायेगी।
- 12.11 **स्वपोषित सीट (Self Financed Seat-SFS):**—बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सभी अनारक्षित एवं आरक्षित वर्गों में स्वपोषित सीटों (SFS) का प्रावधान किया गया है (Table-1)। इन सीटों पर पी.ई.टी. प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता एवं योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा। स्वपोषित सीटों (SFS) की संख्या एवं शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण / परिवर्तन विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद एवं प्रबंध मंडल की बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं अनुमोदन के उपरान्त समय—समय पर जारी किया जावेगा। स्वपोषित सीट हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें रिक्त रहेंगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जायेगी और न ही सीटे परिवर्तित की जायेगी।
- टिप्पणी:** समस्त आरक्षित / अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश नियम में उल्लेखित न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता आवश्यक होगी।



13. उपलब्ध सीटों का विवरण :—बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के सम्बद्ध शासकीय कृषि अभियांत्रिकी एवं फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयोंमें उपलब्ध सीटों पर श्रेणीवार अनारक्षित एवं आरक्षित सीटों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा है। आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दाशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जायेगा।

14. सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया –

- 14.1 सीटों पर प्रवेश हेतु सीट आंबटन की प्रक्रिया का दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा कांउसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व अलग से जारी की जायेगी। सीट आंबटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्हीं दिशा निर्देशों के द्वारा की जायेगी।
- 14.2 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा—“अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- 14.3 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14.4 अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

15. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि—प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जायेगी। तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
टिप्पणी:-आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी ही संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रावीण्य सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जायेगा।

16. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण:—छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी पी.ई.टी. 2025 मेरिट सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर काऊसिलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जावेगा। प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता/शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र काऊसिलिंग के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। पी.ई.टी. 2025 की अंकसूची, **JEE Mains-2025** की अंकसूची (उपलब्ध होने पर), 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) वाले अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं।



17. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारणः—महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेगें।

18. शारीरिक योग्यता :-

18.1 **आयु सीमा** : प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु दिनांक 31 अगस्त 2025 को 16 वर्ष की हो। उल्लेखित दिनांक अर्थात् 31 अगस्त 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम होने पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

18.2 **स्वास्थ्य अहर्ता**: चयनित परीक्षणियों को प्रवेश के उपरांत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज स्तर के अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।

19. मूल निवासी की शर्तें

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2025 तक के पांच वर्षों के अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (**प्रारूप-9**)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र / पुत्री हो :

(i) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (**प्रारूप-9**)

अथवा

(ii) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन) तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी समिलित हैं। अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। (**प्रारूप-9**)

स्पष्टीकरण-1 (छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण -2 (अभिभावक)

किसी भी अभ्य से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।



स्पष्टीकरण—३ (दत्तक पुत्र/पुत्री)

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे। (प्रारूप—९ अथवा शासन से निर्धारित प्रारूप में)

20. यदि संघटक शासकीय महाविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लेते हैं/प्रवेश दे देते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/अर्हता नहीं रखता हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा/जावेगी, जानकारी होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी निष्कासित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं/ सम्बद्ध महाविद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।
21. **प्रवेश निरस्तीकरण** :—यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
22. प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीतिगत विषयक प्रश्नों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग द्वारा स्थापित नियमों को संदर्भ एवं संज्ञान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात् भी प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधी कोई विवाद खड़ा होता है तो उसके निर्णय अथवा अंतिम स्पष्टीकरण हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी—वर्ष 2025–26 में विश्वविद्यालय के अधीन संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीटों की संख्या की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद एवं प्रबंध मंडल बैठकों में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदन उपरान्त जारी किया जावेगा।

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप
(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़
पुस्तक कमांक.....
प्रमाण पत्र कमांक.....प्रकरण कमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पिता/पति का
नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का नं.....
विष्व.....तहसील.....जिला.....संभाग.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341
के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया
गया है और यहजाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन
अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....
पर अकित है अतः श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की कुल
वार्षिक आय रूपये.....है।

दिनांक—

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से
संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत
विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ)
कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुबिभागीय अधिकारी उप संभागीय
मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/
अधिकारी,, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि
के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अन्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार
पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अन्यथियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुबिभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग..... जिला..... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....आत्मज श्री.....निवासी
ग्राम.....जिला संभाग..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जोजाति के है, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांकएफ
8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्रीऔर/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला.....संभाग.....
.....में निवास करता हैं व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक.....को प्रवर्जन कर चुका है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..
.....कीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते हैं, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं
प्रषिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिषिष्ट ई की
अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ...
.....है।

दिनांक.....
स्थान :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-3

कृषक प्रमाण पत्र

कार्यालय तहसीलदार अथवा विकास खण्ड अधिकारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)..... निवासी.....जिला..... के द्वारा सत्यापित किया जाता है कि विद्यार्थी के पालक/पालिका के पास कृषि भूमि है एवं वे कृषि कार्य में भी संलग्न हैं।

यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पालक/पालिका के कृषि कार्य में संलग्न होना प्रमाणित करता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

तहसीलदार

एवं विकास खण्ड अधिकारी

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम)श्री /सुश्री....
.....(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....
.....,(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की/ वैध संतान है। श्री/सुश्री.....
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के कलेक्टर
कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।
स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील



(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-5

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....


दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम
वर्ष.....में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....
(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) की संतान है, जो जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित है। वर्तमान में ये.....
ग्राम.....तहसील.....ज़िला.....प्रदेश में वर्ष.....से निवासरत है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील



(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-6

जम्मू कश्मीर के निवासियों (कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू)
संदर्भ क्रमांक..... दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
माता/पिता.....जो स्नातक पाठ्यक्रम(प्रवेश वर्ष).....में जम्मू एवं
काश्मीर राज्य के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है, जम्मू कश्मीर के
कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू है एवं वर्तमान में ये.....ग्राम.....तहसील.....जिला.
.....निवासरत है।

स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-7

नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)

श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की संतान है, जो नक्सली हिंसा में दिवंगत हुये हैं। उन्हे यह प्रमाण पत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयरायपुर के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने प्रदान किया जाता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-8

भूतपूर्व कार्मिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)

श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की संतान हैं, जो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी हैं। श्री/सुश्री (भूतपूर्व कार्मिक का नाम) थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... से सेवा निवृत है। यह प्रमाण-पत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयरायपुर के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रदान किया जाता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील, कमांडिंग
आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी



(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-9

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्रीआत्मजा/आत्मजा/पत्नीनिवासीतहसीलव जिला.....छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है,
क्योंकि वह—

1/- निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :—

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।
2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई—

अथवा

(ग) उसके पालको में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालको में से कोई—

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी का सेवारत है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालको राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित भार्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अर्थात्—

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडियेट, हायर सेकंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

- 2/- उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हों—

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में सर्वेधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृति अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
(पद नाम एवं सील)

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप—10

दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु प्रमाण—पत्र का नमूना



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण
Govt. of India, Ministry of Labour & Employment (DGE&T)
Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped
विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम, नैपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
Dana Godam, Napier Town, Jabalpur - 482001 (M.P.)



Intake/EVL. No

Phone : 2405581

Date

SUITABILITY CERTIFICATE

It is certify that Shri/Smt./K.G.

S/D of Shri:..... Resident of:.....

is a registered disabled person of this centre with the disability of:.....

*who is evaluated in this centre on date..... On the basis of Evaluation/Assessment report
he/she is found suitable for admission in the following training centres / occupation.*

1.

2.

3.

4.

Note : This certificate is not valid for any legal litigation

Assistant Director Employment/H.O.O.
Govt. of India, M/o Labour & Employment (DGE&T)
Asstt. Director (Employment)